FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0084 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 27/03/2026 13:40 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** सोमवार **Date From (दिनांक से):** 15/12/2025 **Date To (दिनांक तक):** 15/12/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 09:35 बजे **Time To (समय तक):** 12:16 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 27/03/2026 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 27/03/2026 13:40:03 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 360 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARALYA AABKARI VART KAPASAN, JILA CHITTORGARH

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** KALU SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** DULHE SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1973 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BHAGWANPURA POST PANDOLI, KAPASAN, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BHAGWANPURA POST PANDOLI, KAPASAN, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SURESH CHANDRA SALVI		पिता:BALU RAM SALAVI	1. PURANA RASHAMI ROAD,MOMIN MAUHALLA,KAPASAN,KAPASAN,CHITTORGARH,RAJASTHAN,

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,हालात् इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 15.12.2025 को समय करीब 09.35 एएम पर श्री सुनील कुमार कानि0 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस हरिश्चिन्द्र सिंह के कक्ष में उपस्थित होकर बताया कि मेरे किसी परिचित ने परिवादी श्री कालु सिंह के मोबाईल नम्बर देकर बताया कि उसे ट्रेप कार्यवाही करानी है आप उससे सम्पर्क कर लेना। इस पर श्री सुनील कुमार कानि0 के मोबाईल नम्बर से परिवादी श्री कालु सिंह के मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप कॉल करवाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा वार्ता की गई तो परिवादी ने बताया कि मैं ग्राम भगवान पुरा पोस्ट पाण्डोली स्टेशन जिला चित्तौडगढ़ का निवासी हुं। मेरे एक लोडिंग टेम्पो है जिसे मैं स्वयं भाडे पर चलाता हुं। आबकारी थाना कपासन में श्री रवीन्द्र सिह निवासी बेणीपुरिया व श्री गजेन्द्र सिंह निवासी ठुकरावा व अन्य के विरूद्ध मुकदमा दर्ज है। उक्त मुकदमे में मुझे व मेरे टेम्पो को झुठा फंसाने की धमकी देकर थानाधिकारी श्री नन्दकिशोर वैष्णव दो लाख रूपये की रिश्वत मांग रहे है तथा उनके ऑफिस में काम करने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री सुरेश चन्द्र सालवी से सम्पर्क कर उक्त रिश्वत राशि दो लाख रूपये उसको देने की कह रहे है। मेरी सीआई साहब श्री नन्दकिशोर वैष्णव व कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री सुरेश चन्द्र सालवी से कोई आपसी रंजिश नही है ना ही उधार का लेन-देन बकाया है। मैं दोनो को रिश्वत नही देना चाहता हुं बल्कि रिश्वत लेते हुए को पकडवाना चाहता हुं। कृपया कानूनी कार्यवाही करावे। जिस पर परिवादी को रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाने व रिपोर्ट देने की कहा गया तो परिवादी ने कहा कि मैं अभी कपासन में ही हुं आप आपके कार्यालय के किसी कार्मिक को मेरे पास भिजवा दे, मैं रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवा दूंगा तथा प्रार्थना पत्र भी दे दूंगा। मुझ से रिश्वत के बारे में दुबारा सीआई साहब बात नही करेगें। मैं उनके कहे अनुसार कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री सुरेश चन्द्र सालवी से मिलकर रिश्वत राशि मांग के सम्बन्ध में बातचित कर लुंगा। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यक हिदायत दी गई तथा श्री प्रवीण सिंह कानि0 349 को बुलाकर परिवादी श्री कालुसिंह के मोबाईल नम्बर देकर उसे कपासन जिला चित्तोड़गढ़ जाकर परिवादी से सम्पर्क कर नियमानुसार रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने की हिदायत दी गई। समय करीब 10.00 ए0एम0 पर श्री प्रवीण सिंह, कानि0 को सरकारी डीवीआर मय् एक खाली मैमोरी कार्ड केडीएम कंपनी का 32 जीबी बरंग काला को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि कपासन पहुंच परिवादी श्री कालुसिंह से सम्पर्क कर उससे प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उसे डीवीआर को चालु व बन्द करने की विधि की समझाईश कर उसके हमरा जाकर नियमानुसार रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करावें। श्री प्रवीण सिंह, कानि0 को रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाने हेतु जरिये सरकारी मोटर साईकिल आरजे -14-एलबी-4227 से कपासन के लिए रवाना किया गया। समय करीब 02.00 पी0एम0 पर श्री प्रवीण सिंह, कानि0 ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री कालू सिंह का प्रार्थना पत्र एवं सरकारी डीवीआर मय् मैमोरी कार्ड के प्रस्तुत कर बताया कि मैं आज कार्यालय से रवाना शुदा समय करीब 11.30 एएम पर कपासन पहुंचा तथा परिवादी श्री कालू सिंह से सम्पर्क कर परिवादी से मिला। परिवादी ने प्रार्थना पत्र दिया जिसे मैंने अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी को डीवीआर चालु व बन्द करने की समझाईश कर डीवीआर में सुपुर्दशुदा खाली मैमोरी कार्ड लगाकर डीवीआर चालु कर समय करीब 12.16 पीएम पर परिवादी को डीवीआर सुपुर्द कर रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु आबकारी थाना कपासन के लिये रवाना किया गया। मैं भी परिवादी के पिछे-पिछे जाकर आबकारी थाना कपासन के पास पहुंच अपनी उपस्थिति छिपाते हुए खड़ा हो गया। कुछ देर बाद परिवादी वापस आया तथा डीवीआर को बन्द कर मुझे बताया कि कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री सुरेश चन्द्र सालवी आबकारी थाना कपासन में मौजूद मिला जिससे मेरी रिश्वत राशि मांग सत्यापन के सम्बन्ध में बातचीत हो गई है। उक्त वार्तालाप को मैंने सरकारी डीवीआर में रिकॉर्ड कर लिया है। कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री सुरेश चन्द्र सालवी से ने मेरे से 01 लाख रूपये की रिश्वत की मांग की है। कार्यालय में सीआई साहब मौजूद नही थे। उक्त समस्त हालात मैंने जरिये दूरभाष आपको निवेदन किये थे तथा परिवादी से भी आपकी वार्ता करवायी थी तथा आपके निर्देशानुसार परिवादी को गोपनीयता बरतने कि हिदायत कर तथा रिश्वत में दी जाने वाली राशि 01 लाख रूपये की व्यवस्था करने के बाद ब्यूरो कार्यालय चित्तोड़गढ़ पर उपस्थित होने की हिदायत कर उसे कपासन में ही छोड़कर वहॉ से रवाना होकर कार्यालय उपस्थित आया हुं। परिवादी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर संलग्न फाईल किया गया। डीवीआर को चालू कर सुना गया तो आरोपी श्री सुरेश चन्द्र सालवी, कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा परिवादी से श्री नन्दकिशोर वैष्णव, थानाधिकारी, आबकारी थाना कपासन जिला

चित्तौडगढ़ के लिये 01 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग का स्पष्ट सत्यापन होना पाया गया। आईन्दा परिवादी के उपस्थित आने पर श्री नन्दकिशोर वैष्णव, थानाधिकारी, आबकारी थाना कपासन जिला चित्तौडगढ़ से भी रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने का प्रयास किया जावेगा। हालात उच्च अधिकारियों को निवेदन किये गये। डीवीआर मय् रिकॉर्डिंगशुदा मैमोरी कार्ड के सुरक्षित कार्यालय में रखा गया। दिनांक 23.12.2025 को समय करीब 09.30 ए0एम0 पर दर्ज रहे कि कल दिनांक 22.12.2025 को परिवादी द्वारा ईत्तला दी गई कि संदिग्ध श्री नन्दकिशोर वैष्णव, थानाधिकारी, आबकारी थाना कपासन जिला चित्तौडगढ़ से कल दिनांक 23.12.2025 को कार्यालय में मिल सकता है। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर आज दिनांक 23.12.2025 को समय 10.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया तथा श्री दलपत सिहं एएसआई को निर्देश दिये थे कि पशुपालन विभाग से दो गवाह की तलबी कर दिनांक 23.12.2025 को समय 09.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु तहरीर जारी कर पाबन्द कराये। इस समय श्री दलपत सिंह, एएसआई ने मन् उप अधीक्षक पुलिस के कक्ष में उपस्थित होकर बताया कि आपके निर्देशानुसार मेरे द्वारा दो स्वतन्त्र गवाह की तलबी बाबत् संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग चित्तौडगढ़ के नाम जारी पत्र क्रमांक 3322 दिनांक 22.12.2025 किया गया। जिस पर संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग चित्तौडगढ़ द्वारा दो गवाहों की ड्युटी लगाकर पत्र क्रमांक 9931-33 दिनांक 22.12.2025 जारी कर इस कार्यालय में भिजवाया। तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाह कार्यालय में उपस्थित हैं। श्री दलपत सिंह, एएसआई ने उक्त दोनो पत्र प्रस्तुत किये जिनका अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। उपस्थित दोनो गवाहो को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने कक्ष में बुलाया गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उपस्थित दोनो गवाहान को अपना परिचय देकर उनसे उनका परिचय पुछा तो एक गवाह ने अपना नाम श्री गजराज सिंह चौहान पुत्र श्री हुकम सिंह चौहान जाति राजपुत उम्र 54 वर्ष निवासी होली चोक खेरोदा पुलिस थाना खेरोदा जिला उदयपुर हाल निवासी मकान नम्बर 81 समता नगर शिकारबाड़ी सैंती चित्तौडगढ़ पुलिस थाना कोतवाली जिला चित्तौडगढ़ हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग चित्तौडगढ़ होना बताया एवं दुसरे ने अपना नाम श्री हिम्मत सिंह राठौड पुत्र स्व. श्री शम्भू सिंह राठौड जाति राजपुत उम्र 28 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 02 तेजाजी का छापर, नारेला पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ़ हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग चित्तौडगढ़ होना बताया। तत्पश्चात् ट्रेप कार्यवाही बाबत् दोनो स्वतंत्र गवाहान को बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाही गई तो दोनो गवाहन ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति प्रदान की जिस पर दोनो गवाहन को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.12.2025 पढ़ कर सुनाया गया व दिखाया गया तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी के प्रार्थना पत्र हस्ताक्षर करवाये गये। दोनो स्वतंत्र गवाहानों को सरकारी डिवीआर में दिनांक 15.12.2025 को रिकार्ड की गई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चालू कर मुख्य अंशों को सुनाया गया तो दोनों गवाहानों ने रिश्वत राशि की मांग की पुष्टि होना बताया। समय करीब 10.00 ए0एम0 पर परिवादी श्री कालुसिंह कार्यालय में उपस्थित आया है जिस पर परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाह को अपने कक्ष में बुलाया तथा दोनो स्वतन्त्र गवाह से परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा दिनांक 15.12.2025 को श्री प्रवीण सिंह कानि0 को दिया गया प्रार्थना पत्र पढ़ कर सुनाया व दिखाया गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि की तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा प्रार्थना पत्र स्वयं का हस्तलिखित होना बताया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 15.12.2025 के डीवीआर को चालु कर वार्ता के मुख्य अंशो को सुनाया गया तो इसमें परिवादी ने एक आवाज अपनी व दुसरी आवाज श्री सुरेश चन्द्र सालवी, कम्प्युटर ऑपरेटर की होना बताया। समय करीब 11.00 ए0एम0 पर श्री प्रवीण सिंह, कानि0 एवं परिवादी श्री कालुसिंह को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने कक्ष में बुला कर श्री प्रवीण सिंह, कानि0 सरकारी डीवीआर मय् रिकॉर्डिंगशुदा मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर श्री नन्दकिशोर वैष्णव, थानाधिकारी, आबकारी थाना कपासन जिला चित्तौडगढ़ से नियमानुसार रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु परिवादी के हमरा सरकारी मोटर साईकिल आरजे -14-एलबी-4227 से कपासन के लिए रवाना किया गया। समय करीब 02.30 पी0एम0 पर श्री प्रवीण सिंह, कानि0 हमरा परिवादी श्री कालुसिंह के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को श्री प्रवीण सिंह, कानि0 ने सरकारी डीवीआर मय् रिकॉर्डिंगशुदा मैमोरी कार्ड के प्रस्तुत कर बताया कि हम दोनो ब्यूरो कार्यालय से रवाना शुदा समय करीब 12.30 एएम पर कपासन पहुंचे तथा सरकारी डीवीआर मय् रिकॉर्डिंगशुदा मैमोरी कार्ड के डीवीआर चालु कर समय करीब 12.44 पीएम पर परिवादी को डीवीआर सुपुर्द कर रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु आबकारी थाना कपासन के लिये रवाना किया गया। मैं भी परिवादी के पिछे-पिछे जाकर आबकारी थाना कपासन के पास पहुंच अपनी उपस्थिति छिपाते हुए खड़ा हो गया। कुछ देर बाद परिवादी वापस आया तथा डीवीआर को बन्द कर मुझे बताया कि मैं आबकारी थाना कपासन पहुंचा परन्तु श्री नन्दकिशोर वैष्णव, थानाधिकारी थाने में मौजूद नही मिले। इसलिए श्री नन्दकिशोर वैष्णव, थानाधिकारी से कोई वार्ता नही हो पायी परन्तु उनका ड्राईवर मिला जिससे मेरी वार्ता हुई। उक्त वार्तालाप सरकारी डीवीआर में रिकॉर्ड हो गई है किन्तु श्री नन्दकिशोर वैष्णव, थानाधिकारी के ड्राईवर से कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई वार्ता नही हुई है। इस पर हम दोनो कपासन से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये है। परिवादी ने भी श्री प्रवीण सिंह, कानि0 की बतायी गई उक्त बात की ताईद की। दोनो स्वतन्त्र गवाहान को कक्ष में बुलाकर सरकारी डीवीआर को चालु कर

दिनांक 23.12.2025 को परिवादी व संदिग्ध थानाधिकारी के ड्राईवर के मध्य हुई वार्ता की रिकॉर्डिग को सुना गया तो कार्यवाही से सम्बन्धित कोई वार्ता नही होना पाया गया। समय करीब 03.15 पी0एम0 पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 15.12.2025 को समय 12.16 पीएम पर परिवादी श्री कालु सिंह व आरोपी श्री सुरेश चन्द्र सालवी के मध्य आबकारी थाना कपासन में हुई रूबरू वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डीवीआर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार श्री प्रवीण सिंह कानि 349 से पृथक से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। सरकारी डीवीआर मय् रिकॉर्डिंगशुदा मैमोरी कार्ड के सुरक्षित कार्यालय में रखा गया। परिवादी श्री कालु सिंह व आरोपी श्री सुरेश चन्द्र सालवी के मध्य आबकारी थाना कपासन में रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 15.12.2025 के मुख्य अंश निम्न प्रकार है -

परिवादी श्री कालु सिंह दो लाख तो गणा वेवे। दो लाख तो बहुत होते है।
आरोपी श्री सुरेश चन्द्र सालवी उन्नीस बीस कर करान कर दो उन्नीस बीस करके कर दो
परिवादी उन्नीस बीस लास्ट (अस्पष्ट आवाज) उन्नीस बीस लास्ट (अस्पष्ट आवाज)
आरोपी लास्ट कह दो मु वणा ने के दूं लास्ट कह दो मैं उनको कह दुंगा।
परिवादी पचास सु जादा नी दे सकुं सीआई साब ने के दिजो आरामु पचास सु जादा मु न दे सकुं उ तो हेई कोनि के मारे मोटो धन्धों है। ठीक वा कैसिट उलझ गी। पचास से ज्यादा नही दे सकता सीआई साहब को कह देना पचास से ज्यादा मैं नही दे सकता ऐसे तो नही कि मेरे बडे-बडे धंधे है। कैसिट उलझ गी।

आरोपी अभी यह काई हामले वालाउ पिया लेना मतलब आगे भी देना अभी ये क्या है सामने वालों से पैसा लेना मतलब आगे भी देना है।

आरोपी देखों मैं वणा ने लाख खण्ड रूपया कहं सकु देखों मैं उनको लाख रूपये की कह सकता हूं।
परिवादी लाख तो गणा वे वे लाख तो बहुत ज्यादा होते है।
आरोपी वे तो मैं नी केरियो वे पुरी पेटी मांग रिया मूं केवा में कह सकुं वे राजी वो न बेराजी वो। ये तो मैं नही कह रहा हूं वो तो पुरी पेटी मांग रहे है मैं कहने में कह सकता हूं चाहे वो राजी हो या नाराज हो
परिवादी हां हां पेटी मांग रिया दो लाख तो गणा वे वे पांच पचास खुब है। तीस हजार दे दु हां हां पेटी मांग रहे, दो लाख तो ज्यादा होते है पांच पचास खुब है तीस हजार दे दु।
आरोपी थाके वता लाग जाई, पांच लाख रूपिया वटे लाग जाई, गाडी मिने खडी वे जाई, चार लाख रूपये की (गाली) साढे चार लाख रूपियाउ कम नी लागना, मु केरियोउ लिखन दे दू तुम्हारे ज्यादा लग जायेंगे, पांच लाख रूपये वहां लग जायेंगे, गाडी अन्दर खडी हो जाएगी, चार लाख रूपये की (गाली देते हुए) साढे चार लाख रूपये से कम नही लगेंगे मैं कह रहा हुं लिख के दे दू।

आरोपी ओर फिर केस वेणी जो अलग, आप मुल्जिम वेणों, रिकॉर्ड चाली, आपरो मामलों फिनिश है। ओर फिर केस बनेगा जो अलग ,आप मुल्जिम बनोगे, रिकॉर्ड चलेगा, आपका मामला फिनिश है

आरोपी पेशियां चाली जो अलग, दो ढाई लाख रूपिया लाग जाई, वकील यू ई चुट लेई पेशिया चलेगी जो अलग, दो ढाई लाख रूपये लग जायेगे वकील ऐसे ही लुट लेगा।

आरोपी दो लाख कियो वणा, दो लाख का आधा कर दिदा, मैं कियो कि लाख मू कह दू वे हमझ जावें तो दो लाख कहा उन्हाने , दो लाख के आधे कर दिये ,मैने कहा कि लाख मे कह देता हु अगर वो मान जाये तो।

आरोपी मुं ओर के देउ, वे आ जाई, आज तो शायद नी आवें मै और कह दुगा, वो आ जायेगे, आज तो शायद नही आयेंगे।

आरोपी उन्नीस बीस देखो, लाख वणा ने के देउ, मूं वणा केउ साब वणा तो कियो मने उन्नीस बीस देखो, लाख के लिये उनको कह दुंगा मै उनको कह दुंगा उन्हाने कहा मुझे।

आरोपी मू कई नी सकुं, वे तो वणी पे अडिया तका है। (हंसने की आवाज) मै कुछ नही कह सकता वो तो उसी पर अडे हुवे है। (हंसने की आवाज)

आरोपी दो पे नी वो कह रहे उनके साढे चार, चार तो आधे दे दो मेरे को आपको अगर निकलना ही है तो मैं भी आगे दे के छुट्टी करू दो पर नही वो कह रहे उनके साढे चार, चार तो आधे दे दो मेरे को आपको अगर निकलना ही है तो मैं भी आगे दे के छुट्टी करू

आरोपी आगे क्लियर करनों पेडी नी, अटे ये आप नकु जनता सेवा कर लेवे तो काई मतलब है, वे एक हजार थाने में, पचास वणा ने देई, मारे काई लेनो देनो(गाली देते हुए) यो तो वणाको केस है आगे क्लियर करना पडेगा यहा आपसे जनता सेवा कर लेवे तो क्या मतलब है ,वो एक हजार थाने में,पचास उनको देगे ,मेरे क्या लेना देना (गाली देते हुए) येतो उनका केस है। आरोपी जेब में थोडा गणा पिया जावें तो वे देखे वा चलो यार उसका भी किया जेब में थोडा बहुत पैसे जाते है तो वो देखे चलो यार उसका भी किया

आरोपी नी मानी तो लाख तक तो मु एग्री करवा संकु, साब ने केउ कि भाई नी मान रिया तो आप लाख तक तो ऐग्री करवा (अस्पष्ट आवाज) नही मानेंगे तो लाख तक तो मैं एग्री करवा सकता हूं। साहब को कहुंगा कि भाई नही मान रहे है तो आप लाख तक तो ऐग्री करवा सकु (अस्पष्ट आवाज)

परिवादी एक लाख, एक लाख तो भारी पडे मारे हरिका के एक लाख, एक लाख तो भारी पडते है मेरे जैसे के
आरोपी साढे चार लाख भारी पड रिया, हाडी चार हल्का साढे चार लाख भारी पड रहे है, साढे चार लाख कम

आरोपी नी तो रेवा दो पछे (हंसते हुए) नही तो रहने दो फिर (हंसते हुए)

आरोपी ते जट नी मानेगा तो लाख तक वे जावें तो एग्री वे जावे, मूं हां कर दु तो था मना मत करजिओ वे इतना जल्दी नही मानेगे तो लाख तक हो जायेगे तो एग्री हो जायेगे मै हा कर दु तो तूम मना मत करना

आरोपी ताकि वे नी करेगा तो पचे ओर करा, कोशिश करा (हंसते हुए) ताकि वे नही करेगे तो फिर और करेगे, कोशिश करेंगे (हंसते हुए)

उक्त रिकार्डिंग वार्ता में परिवादी ने दिनांक 23.12.2025 को गवाहान की उपस्थिति में परिवादी श्री कालू सिंह ने एक आवाज स्वयं की होना एवं दुसरी आवाज आरोपी श्री सुरेश चन्द्र सालवी, कम्प्यूटर ऑपरेटर की होना बताया। अतः उक्त वार्तालाप से आरोपी श्री सुरेश चन्द्र सालवी, कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा परिवादी से 01 लाख रूपये की रिश्वत राशि की स्पष्ट मांग करना प्रमाणित है।

समय करीब 06.00 पी0एम0 पर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री कालु सिंह को गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत कर दिनांक 24.12.2025 को समय 09.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ़ पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत दी गई। दिनांक 24.12.2025 समय करीब 09.30 एएम पर तलबिदा परिवादी श्री कालुसिंह व दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री गजराज सिंह, व श्री हिम्मत सिंह राठौड कार्यालय में उपस्थित आये है जिनको कार्यालय में बैठाया गया। समय करीब 11.00 एएम पर श्री प्रवीण सिंह, कानि0 एवं परिवादी श्री कालुसिंह को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने कक्ष में बुला कर श्री प्रवीण सिंह, कानि0 सरकारी डीवीआर मय् रिकॉर्डिंगशुदा मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर श्री नन्दकिशोर वैष्णव, थानाधिकारी, आबकारी थाना कपासन जिला चित्तौडगढ़ से नियमानुसार रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु परिवादी के हमरा सरकारी मोटर साईकिल आरजे -14-एलबी-4227 से कपासन के लिए रवाना किया गया। समय करीब 02.15 पीएम पर श्री प्रवीण सिंह, कानि0 हमरा परिवादी श्री कालुसिंह के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को सरकारी डीवीआर मय् रिकॉर्डिंगशुदा मैमोरी कार्ड के प्रस्तुत कर बताया कि हम दोनो ब्यूरो कार्यालय से रवाना शुदा समय करीब 12.05 पीएम पर कपासन पहुंचे तथा सरकारी डीवीआर मय् रिकॉर्डिंगशुदा मैमोरी कार्ड के परिवादी को डीवीआर सुपुर्द कर रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु आबकारी थाना कपासन के लिये रवाना किया गया। मैं भी परिवादी के पिछे-पिछे जाकर आबकारी थाना कपासन के पास पहुंच अपनी उपस्थिति छिपाते हुए खड़ा हो गया। कुछ देर बाद परिवादी वापस आया तथा डीवीआर मुझे सुपुर्द कर बताया कि मैं आबकारी थाना कपासन पहुंचा जहाँ पर श्री नन्दकिशोर वैष्णव, थानाधिकारी थाने में मौजूद नही मिले। मैं जल्दबाजी में डीवीआर ऑन नही कर पाया। इस पर हम दोनो कपासन से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये है। परिवादी ने भी श्री प्रवीण सिंह, कानि0 की बतायी गई उक्त बात की ताईद की। दोनो स्वतन्त्र गवाहान को कक्ष में बुलाकर सरकारी डीवीआर को चालु कर देखा गया तो कोई वार्ता डीवीआर में रिकॉर्ड होना नही पाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि गोपनीय रूप से संदिग्ध श्री नन्दकिशोर

वैष्णव, थानाधिकारी की जानकारी करता रहे तथा उसके कपासन आने पर ब्यूरो कार्यालय में सम्पर्क करें। दिनांक 30.12.2025 समय करीब 09.30 एएम पर परिवादी श्री कालुसिंह द्वारा अवगत कराया गया कि आज श्री नन्दकिशोर वैष्णव, थानाधिकारी, आबकारी थाना कपासन जिला चित्तौडगढ़ कपासन में ही मौजूद है जिससे आज रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया जा सकता है। आप किसी को कपासन भिजवा दो मैं वहीं मिल जाउंगा। अतः दोनो गवाहान को जरिये दूरभाष तलब किया गया। समय करीब 09.40 एएम पर तलबिदा दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री गजराज सिंह व श्री हिम्मत सिंह राठौड कार्यालय में उपस्थित आये है। जिनको कार्यालय में बैठाया गया। समय करीब 09.45 एएम पर श्री प्रवीण सिंह, कानि0 को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने कक्ष में बुला कर श्री प्रवीण सिंह, कानि0 सरकारी डीवीआर मय् रिकॉर्डिंगशुदा मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर कपासन पहुंच परिवादी से सम्पर्क कर संदिग्ध श्री नन्दकिशोर वैष्णव, थानाधिकारी, आबकारी थाना कपासन जिला चित्तौडगढ़ से नियमानुसार रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु सरकारी मोटर साईकिल आरजे -14-एलबी-4227 से कपासन के लिए रवाना किया गया। समय करीब 02.00 पीएम पर श्री प्रवीण सिंह, कानि0 हमरा परिवादी श्री कालुसिंह के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को श्री प्रवीण सिंह, कानि0 ने सरकारी डीवीआर मय् रिकॉर्डिंगशुदा मैमोरी कार्ड के प्रस्तुत कर बताया कि मैं ब्यूरो कार्यालय से रवाना शुदा समय करीब 11.00 एएम पर कपासन पहुंचा जहॉ पर परिवादी उपस्थित मिला तथा परिवादी को साथ लेकर आबकारी थाना कपासन से कुछ पहले पहुंच सरकारी मोटरसाईकिल को साईड में खड़ा कर सरकारी डीवीआर मय् रिकॉर्डिंगशुदा मैमोरी कार्ड के डीवीआर चालु कर समय करीब 12.11 पीएम पर परिवादी को डीवीआर सुपुर्द कर रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने हेतु आबकारी थाना कपासन के लिये रवाना किया गया। मैं भी परिवादी के पिछे-पिछे जाकर आबकारी थाना कपासन के पास पहुंच अपनी उपस्थिति छिपाते हुए खड़ा हो गया। कुछ देर बाद परिवादी वापस आया तथा डीवीआर को बन्द कर मुझे बताया कि मैं आबकारी थाना कपासन पहुंचा जहॉ पर श्री नन्दकिशोर वैष्णव, थानाधिकारी थाने में मौजूद मिले जिनसे मैंने उनके कक्ष में वार्ता की। उक्त वार्तालाप को मैंने सरकारी डीवीआर में रिकॉर्ड किया है। इस पर हम दोनो कपासन से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये है। परिवादी ने भी श्री प्रवीण सिंह, कानि0 की बतायी गई उक्त बात की ताईद की तथा बताया कि संदिग्ध श्री नन्दकिशोर वैष्णव, थानाधिकारी ने मेरे से रिश्वत राशि की मांग नही की है। इस पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान को अपने कक्ष में बुलाकर सरकारी डीवीआर को चालु कर आज दिनांक 30.12.2025 को परिवादी व संदिग्ध श्री नन्दकिशोर वैष्णव, थानाधिकारी के मध्य हुई वार्ता की रिकॉर्डिंग को सुना गया तो संदिग्ध श्री नन्दकिशोर वैष्णव, थानाधिकारी द्वारा रिश्वत राशि की मांग करना नही पाया गया। संदिग्ध श्री नन्दकिशोर वैष्णव, थानाधिकारी द्वारा परिवादी को नकली शराब से सम्बन्धित कार्यवाही करवाने बाबत् एक सप्ताह का टाईम दिया, इत्यादि वार्ता है। सरकारी डीवीआर मय् रिकॉर्डिंगशुदा मैमोरी कार्ड के सुरक्षित कार्यालय में रखा गया।

समय करीब 03.00 पी0एम0 पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 30.12.2025 को समय 12.11 पीएम पर परिवादी श्री कालु सिंह व श्री नन्दकिशोर वैष्णव, थानाधिकारी के मध्य आबकारी थाना कपासन में थानाधिकारी के कक्ष में हुई रूबरू वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डीवीआर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार श्री प्रवीण सिंह कानि 349 से पृथक से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। सरकारी डीवीआर मय् रिकॉर्डिंगशुदा मैमोरी कार्ड के सुरक्षित कार्यालय में रखा गया। समय करीब 05.00 पी0एम0 पर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री कालु सिंह को गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत कर रूखसत दी गई। दिनांक 05.01.2026 समय करीब 04.00 पी0एम0 पर परिवादी श्री कालु सिंह कार्यालय में उपस्थित आया तथा बताया कि आज मैं चित्तोड़गढ़ किसी निजी कार्य से आया था इसलिये आपसे से वैसे ही मिलने आ गया। चूंकि संदिग्ध श्री नन्दकिशोर वैष्णव, थानाधिकारी द्वारा परिवादी को 01 सप्ताह का टाईम दिया है जिसमें 2-3 दिन का समय बाकि है इस कारण परिवादी को गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत कर 2-3 दिन बाद पुनः ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत दी गई। दिनांक 20.01.2026 समय करीब 12.30 पीएम पर परिवादी श्री कालु सिंह ने कार्यालय में उपस्थित होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मै दिनांक 30.12.2025 को आबकारी सीआई साहब नन्दकिशोर वैष्णव से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराने गया था। उस दिन मेरी श्री नन्दकिशोर वैष्णव, सीआई साहब सें उनके कक्ष में वार्ता हुई थी जिसे मैंने सरकारी डीवीआर में रिकॉर्ड किया था। वार्ता के दौरान श्री नन्दकिशोर वैष्णव, सीआई साहब ने मेरा मोबाईल ईशारे से उनकी टेबल पर रखवाया था तथा 5 मिनट तक मोबाईल को चैक किया था। मुझे लगता है मेरा मोबाईल चैक करने से उसको कोई शंका हो गई है क्योंकि ना तो श्री नन्दकिशोर वैष्णव, सीआई साहब मेरे से कोई सम्पर्क कर रहा है तथा ना ही कम्प्युटर ऑपरेटर श्री सुरेश चन्द्र सालवी ने मेरे से कोई सम्पर्क किया है तथा 2-3 दिन पहले मैं आबकारी थाना कपासन गया जहाँ मेरे से कम्प्युटर ऑपरेटर श्री सुरेश चन्द्र सालवी मिला परन्तु उसने मेरे से कोई बातचित नही की तथा मुझे अपने ऑफिस से चले जाने की कहा। उसे भी शायद श्री नन्दकिशोर वैष्णव, सीआई साहब ने बोल दिया होगा इसलिए उसने मेरे से कोई बात नही की। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री नन्दकिशोर वैष्णव, सीआई साहब व कम्प्युटर ऑपरेटर श्री सुरेश चन्द्र सालवी को आपके विभाग द्वारा किये जाने वाली टे्प कार्यवाही की शंका/भनक लग चुकी है। अब यह दोनो मेरे से ना तो

रिश्वत राशि लेगे तथा ना ही मेरे से इस बारे में बातचित करेंगें। कृपया आगे की कानूनी कार्यवाही करे। रिपोर्ट सादर पेश है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र उसने स्वयं की हस्तलिपि में लिखा है एवं उसमें लिखि हुई प्रत्येक बात सही है। परिवादी ने यह भी निवेदन किया कि श्री नन्दकिशोर वैष्णव, सीआई साहब व कम्प्युटर ऑपरेटर श्री सुरेश चन्द्र सालवी को ट्रेप कार्यवाही की भनक लग गई है। इसलिये अब वह मेरे से रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करेगे। इस कारण अब आगे की कार्यवाही नहीं हो सकती है। परिवादी के प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। चूंकि परिवादी से की गई मजीद दरियाफ्त एवं उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त मामले में आगे कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु पूर्व के दोनों गवाहान को जरिये दूरभाष तलब कर हिदायत दी गई कि वे अपने उच्च अधिकारी से मौखिक सहमति लेकर राजकार्य हेतु ब्यूरो कार्यालय चित्तोड़गढ़ पर उपस्थित होंवे। परिवादी को कार्यालय में बिठाया गया। समय करीब 03.00 पीएम पर तलबिदा दोनो स्वतंत्र गवाह सर्व श्री गजराज सिंह चौहान हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग चित्तौडगढ़ एवं श्री हिम्मत सिंह राठौड हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग चित्तौडगढ़ उपस्थित कार्यालय आये। दोनों स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ़ कर सुनाया तथा दिखाया गया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी द्वारा पुनः उसमें अंकित तथ्यों की ताईद की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 03.30 पीएम पर दोनो गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 15.12.2025 को समय 12.16 पीएम पर परिवादी श्री कालु सिंह व आरोपी श्री सुरेश चन्द्र सालवी के मध्य आबकारी थाना कपासन में रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की रिकॉर्डिंग एवं दिनांक 23.12.2025 को समय 12.44 पीएम पर परिवादी श्री कालु सिंह व संदिग्ध श्री नन्दकिशोर वैष्णव, थानाधिकारी के ड्राईवर के मध्य आबकारी थाना कपासन में रूबरू हुई वार्ता की रिकॉर्डिंग एवं दिनांक 30.12.2025 को समय 12.11 पीएम पर परिवादी श्री कालु सिंह व संदिग्ध श्री नन्दकिशोर वैष्णव, आबकारी थानाधिकारी के मध्य आबकारी थाना कपासन में थानाधिकारी के कक्ष में हुई रूबरू वार्ता की रिकॉर्डिंग कुल 03 रिकार्डिंग जो कार्यालय के सरकारी डिवीआर में लगे मेमोरी कार्ड केडीएम कंपनी 32 जीबी बरंग काला में सुरक्षित है। उक्त डिवीआर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर उक्त 03 वार्ताओं को तीन पेन ड्राईव केडीएम कंपनी 32 जीबी बरंग सिल्वर में श्री जितेन्द्र कुमार कानि से कॉपी करवाया जाकर एक पेन ड्राईव की हैश वैल्यू निकाली जाकर माननीय न्यायालय हेतु एवं एक पेन ड्राईव आरोपी हेतु जिनको एक सफेद कपडे की थैली में सीलचिट कर कपडे की थैली पर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये एवं एक पेन ड्राईव जो अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया। माननीय न्यायालय के पेन ड्राईव की थैली पर मार्क P अंकित किया गया। फर्द डबिंग पेन ड्राईव मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में जितेन्द्र कुमार कानि से पृथक से तैयार करवाई जाकर फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। इसके समय करीब 04.15 पीएम पर गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 15.12.2025 को समय 12.16 पीएम पर परिवादी श्री कालु सिंह व आरोपी श्री सुरेश चन्द्र सालवी के मध्य आबकारी थाना कपासन में रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की रिकॉर्डिंग एवं दिनांक 23.12.2025 को समय 12.44 पीएम पर परिवादी श्री कालु सिंह व संदिग्ध श्री नन्दकिशोर वैष्णव, थानाधिकारी के ड्राईवर के मध्य आबकारी थाना कपासन में रूबरू हुई वार्ता की रिकॉर्डिंग एवं दिनांक 30.12.2025 को समय 12.11 पीएम पर परिवादी श्री कालु सिंह व संदिग्ध श्री नन्दकिशोर वैष्णव, आबकारी थानाधिकारी के मध्य आबकारी थाना कपासन में थानाधिकारी के कक्ष में हुई रूबरू वार्ता की रिकॉर्डिंग कुल 03 रिकार्डिंग जो कार्यालय के सरकारी डिवीआर में लगे मेमोरी कार्ड केडीएम कंपनी 32 जीबी बरंग काला में सुरक्षित है। उक्त डिवीआर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ताओ की हैश वैल्यु श्री जितेन्द्र कुमार कानि से निकलवा कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा डिवीआर से मैमोरी कार्ड निकालकर एक सफेद कपडे की थैली में रख कर उक्त मूल मेमोरी कार्ड को सफेद कपडे की थैली में सीलचीट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। मार्क M अंकित किया गया। फर्द जप्ती मूल मेमोरी कार्ड मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में जितेन्द्र कुमार कानि से पृथक से तैयार करवाई जाकर फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। वजह सबूत मूल मैमोरी कार्ड एक सफेद कपडे की थैली में शिल्डचिटशुदा एवं माननीय न्यायालय का पेन ड्राईव एक सफेद कपडे की थैली में शिल्डचिटशुदा व आरोपी का पेन ड्राईव एक सफेद कपडे की थैली में शिल्डचिटशुदा को मालखाने में सुरक्षित रखने हेतु कार्यवाहक मालखाना ईन्चार्ज श्री सुनील कुमार कानि0 264 को सम्भलाया जाकर मालखाने में रखवाया गया। समय करीब 05.15 पीएम पर परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान को रूखसत किया गया।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अब तक की गई कार्यवाही से आरोपी श्री सुरेश चन्द्र सालवी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, आबकारी थाना कपासन, जिला चित्तौडगढ़ द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर आबकारी थाना कपासन में श्री रवीन्द्र सिह निवासी बेणीपुरिया व श्री गजेन्द्र सिंह निवासी ठुकरावा व अन्य के विरूद्ध दर्ज मुकदमे में परिवादी श्री कालु सिंह को एवं उसके टेम्पो को झुठा फंसाने की धमकी देकर थानाधिकारी श्री नन्दकिशोर वैष्णव के लिए दौराने सत्यापन दिनांक 15.12.2025 को रिश्वत राशि 1,00,000 रूपये की स्पष्ट मांग कर रिश्वत राशि लेने के लिए सहमत होना पाया जाने से आरोपी श्री सुरेश चन्द्र सालवी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, आबकारी थाना कपासन, जिला

चित्तौडगढ़ का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।अतः आरोपी श्री सुरेश चन्द्र सालवी पुत्र श्री बालु राम सालवी उम्र 49 वर्ष निवासी पुराना राशमी रोड़, मोमीन मौहल्ला, कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ़ हाल कम्प्युटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) कार्यालय आबकारी वृत्त कपासन जिला चित्तौडगढ़ के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रकरण दर्ज करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय पर प्रेषित है। (हरिश्चन्द्र सिंह) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हरिश्चन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुरेश चन्द्र सालवी पुत्र श्री बालु राम सालवी उम्र 49 वर्ष निवासी पुराना राशमी रोड़, मोमीन मौहल्ला, कपासन, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ़ हाल कम्प्युटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) कार्यालय आबकारी वृत्त कपासन जिला चित्तौडगढ़ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी डॉ सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ईंटे उदयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 23 पर अंकित है। (अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 570-73 दिनांक 27.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, चित्तौडगढ 2- जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौडगढ 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ । उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SONU SHEKHAWAT **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 27/03/2026 13:42:49

Name(नाम): ANIL KAYAL

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1977				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)